राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 2/2018 दायर दिनांक 21.03..2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रामदेव पुत्र रूपा जाति जाट निवासी मोरडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
2. रामकरण पुत्र रूपा जाति जाट निवासी मोरडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
3. श्रीमती कंवरी पुत्री रूपा जाति जाट निवासी मोरडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमती कमला पुत्री रूपा जाति जाट निवासी मोरडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
5. श्रीमती भंवरी पत्नि रूपा जाति जाट निवासी मोरडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0

––––प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नि श्योराम जाति कुमावत निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
2. नारायण लाल पुत्र श्योराम जाति कुमावत निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
3. गणेश लाल पुत्र श्योराम जाति कुमावत निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
4. श्रीमती मंजू देवी पत्नि स्व0 लालाराम जाति कुम्हार निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
5. दीपमाला पुत्री स्व0 लालाराम जरिये संरक्षक माता मंजू देवी जाति कुम्हार निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
6. निर्मला पुत्री स्व0 लालाराम जरिये संरक्षक माता मंजू देवी जाति कुम्हार निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
7. टीना पुत्री स्व0 लालाराम जरिये संरक्षक माता मंजू देवी जाति कुम्हार निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
8. लक्ष्मी पुत्री स्व0 लालाराम जरिये संरक्षक माता मंजू देवी जाति कुम्हार निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
9. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री स्व0 श्योराम जाति कुमावत निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
10. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधि0 1956

वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत्।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

निर्णय दिनांक 16.12.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त, खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम मोरडी पटवार हल्का मोरड़ी पटवार निरीक्षक हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। बटवारे के अनुसार खाता संख्या नया 177 के ख0न0 75/1, 77/1 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी 2 जिसमें हिस्सा सम्पूर्ण है तथा खाता संख्या नया 156 के ख0न0 75/4 कुल किता 01 कुल रकबा 01 बीघा 05 बीस्वा किस्म गै0मु0रास्ता जिसमें हिस्सा 1/3 है कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीगण के नाम कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 16:19:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज, काश्त चले आ रहे है तथा उक्त ख0न0 की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थीगण की उक्त ख0न0 की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण निर्वाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज, काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण को अपने खेतो में भूमि की बुवाई, जुताई,बिजाई, निराई, गुडाइ ,जोत करने तथा नींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एंव बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है।अप्रार्थी संख्या 10 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थित होने से श्रीमान को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में वकील अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से भी जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम मोरडी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 177 में ख0न0 75/1 रकबा 7–10 बीघा, ख0न0 77/1 रकबा 2–00 बीघा भूमि रामदेव , रामकरण, कंवरी , कमला पि. रूपा , भंवरी पत्नि रूपा कौम जाट (प्रार्थी 1 से 5) खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में बहस सुनी गयी। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोरडी पटवार हल्का मोरडी के ख0न0 75/1 रकबा 7–10 बीघा, ख0न0 77/1 रकबा 2–00 बीघा भूमि के पडोसी खातेदारो को सुचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढ़ी के दौरान राजस्व रिकार्ड से संबंधित कोई तकनिकी समस्या आती है, तो अवगत करावें। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:19:50 IST
Reason: SelfAttested